फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

शिशपाल बनाम सन्तोष आदि

किस्म मुकदमा : 151 सीपीसी

प्रकरण संख्या 02 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
29.02.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई। प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अत : प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादभूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 24 / 21 के प.नं. 367 / 423 (56) के किला नं. 16 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में 1 बिस्वा रास्ता, यदि आदिनांक को मौके पर चालू हो तो आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें व रास्ते को बन्द करने से निषेध रहे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उज्र व एतराज हो तो अप्रार्थीगण न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 28 / 03 / 2024 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
28/3/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब .. अ.स. कार्य में व्यस्त पत्रावली दि0 28/5/24 को पेश हो।	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील सायल / सायल उपस्थित नहीं वकील सायल [सायल] को बार बार [illegible] गई सायल या [illegible] उपस्थित नहीं सायल [illegible] पैरवी अदम [illegible] खारिज [illegible] जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested